कार्यालय चुनाव अधिकारी, एस.बी.पी. राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर (राज.)

छात्रसंघ चुनाव हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देश एवं लिंगदोह समिति की सिफारिशों की अनुपालना में लागू आचार संहिता का सार संक्षेप

1. लिंगदोह समिति के अनुसार कोई भी विद्यार्थी छात्रसंघ पदाधिकारी के पद पर केवल एक बार चुनाव लड़ सकता है। लैकिन कार्यकारिणी सदस्य (कक्षा प्रतिनिधि) का चुनाव दो बार लड़ सकता है।
2. प्रत्याशियों द्वारा छात्रसंघ चुनाव प्रचार केवल महाविद्यालय परिसर तक ही समिति रहेगी।
3. प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पांच हजार रूपया अधिकतम तक की राशि तक व्यय कर सकेंगा।
4. प्रत्याशियों को अपने चुनाव व्यय का अंकेक्षित ब्यौरा चुनाव परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के भीतर देना होगा।
5. चुनाव प्रत्याशी व उनके सहयोगी संगठन द्वारा जनता व्यापरियों, दुकानदारों या अन्य से चन्दा वसूली पर कानूनी प्रतिबंध रहेगी।
6. चुनाव अवधि में सार्वजनिक व निजी परिसरों, भवनों, प्रतिष्ठानों आदि की दीवारों व बोर्डो पर पोस्टर, विज्ञापन, पेम्पलेट, बैनर, नरेबाजी आदि लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
7. कॉलेज परिसर में हथियार, चाकू, तलवार आदि लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
8. छात्रसंघ चुनाव संबंधी किसी भी नियम के उल्लंघन पर संबंधित अपराधी पदाधिकारी को चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा पद से हटाया जा सकेगा।
9. आचार संहिता के नियमों को तोड़ने वाले प्रत्याशी को अगले दो वर्ष तक चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही अपराधी प्रत्याशी को उस वर्ष की परीक्षा से भी वंचित किया जा सकेंगा।
10. चुनाव के दौरान दुर्व्यवहार करते पाये जाने वाले अभ्यार्थी को दण्डित किया जा सकेगा।
11. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये निश्चित स्थान जो साईकल स्टेण्ड एवं बास्केट बॉल कोर्ट है, के अलावा अन्य स्थानो पर किसी भी प्रत्याशी द्वारा चुनाव से संबंधित हस्तलिखित पेम्पलेट, पोस्टर विज्ञापन या नारे लिखने पर प्रतिबंध है।
12. यदि कोई व्यक्ति जीते हुए अभ्यार्थी को हटाने के लिए झूठे तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत करेगा तो ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा और नियमानुसार उसे हर्जाना राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
13. यदि कोई मुद्रक, प्रकाशन, पेन्टर या अन्य व्यक्ति झूठे प्रमाणों/तथ्यों के आधार पर विजयी पदाधिकारी को हटाने में सहयोग करेगा तो उस पर भी मुकदमा/ कार्यवाही की जा सकेगी, मननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों एवं लिंगदोह समिति की सिफारिशों की अक्षरशः पालना छात्रसंघ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और उनके सहयोगियों को करनी अनिवार्य होगी। आचार संहिता में उल्लेखित किसी भी निर्देश की अवहेलना का दोषी पाये जाने पर इसे अभ्यार्थी का कदाचार माना जाएगा तथा उसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा गठित निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा आचार संहिता के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी एवं पुलिस में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराये जा सकेंगे।
14. प्रत्याशी ऐसी कोई गतिविधि/कार्यो मे लिप्त नही रहेगा/रहेगी जो भ्रष्ट आचरण, उत्पीड़न एवं अपराध की श्रेणी में माने गये है।
15. छात्रसंघ चुनाव हेतु उम्मीदवार के खाते में किसी भी परिस्थिति में कोई शैक्षणिक बकाया (Academec arrears)चुनाव लड़ने के वर्ष में नही होना चाहिए।
16. उम्मीदवार द्वारा उपस्थिति का वह न्यूनतम प्रतिशत जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाये या 75 प्रतिशत उपस्थिति इन दोनो में से जो भी उच्चतर हो, हासिल किया जाना आवश्यक है।
17. उम्मीदवार का पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए अर्थात वह कभी भी किसी अपराधिक कृत्य या दुराचरण के लिए विचारित (tried) और /या दोष सिद्ध नहीं किया गया हो। यह भी कि उम्मीदवार को किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया हो। **यह भी कि उम्मीदवार को किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं बनाया गया है।**

18 कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी प्रक्रिया/गतिविधि में लिप्त नहीं होगा, ना ही ऐसी किसी क्रिया/गतिविधि का उत्प्रेरण करेगा जो कि उपस्थित मतभेदों को बढावा देवें या आपसी वैमनस्य या विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, धार्मिक अथवा भाषायी या विद्यार्थियों के किसी समुदाय या समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करे।

19. दूसरे उम्मीदवारों की आलोचना जब भी की जायेगी तब वह उनकी नीतियों, कार्यक्रमों उनके पूर्व रिकार्ड व कार्यो तक सीमित होगी। उम्मीदवार निजी जीवन के सभी पक्षों की आलोचना से बचेगे जो अन्य उम्मीदवारों की सामाजिक गतिविधियों या उनके समर्थकों से संबंधित नहीं हो असत्यापित आरोपों व विद्रूपताओं पर आधारित अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की आलोचना से बचा जाएगा।

20. मत प्राप्ति हेतु जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नही की जाएगी। पूजास्थल चाहे वे परिसर के अन्दर अथवा बाहर हो, चुनाव प्रचार हेतु इस्तेमाल नहीं किये जायेगे।

21. सभी उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों /कार्यो में लिप्त होने या उनके उत्पीड़न करने से प्रतिबंधित किया जाएगा जो कि भ्रष्ट आचरण एवं अपराध माने जाते है जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना–धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रो के 100 मीटर की परिधि में प्रचार या use of propaganda, चुनाव के आखरी घंटे के पूर्व समय में जनसभा आयोजित करना और मतदाताओ को मतदान केन्द्रो पर लाना और वापिस छोड़ना।

22. किसी भी उम्मीदवार को विश्वविद्यालय /महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलिया, जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।

23. प्रचार हेतु लाउड स्पीकर, वाहनों और जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।

24. महाविद्यालय द्वारा छात्रसंघ चुनाव संबंधी सभी शिकायतों के निवारण हेतु एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गयाह है। शिकायतकर्ता विद्यार्थी चुनाव परिणाम घोषित होने के तीन हफ्ते के भीतर अपने नाम से शिकायत दर्ज करवा सकता है।

25. उम्मीदवार लिखित अनुमति लेकर महाविद्यालय परिसर में बिना कक्षाओं को व्यवधान पहुंचाए रैलिया निकाल सकते है।

नोटः– मतदान प्रक्रिया एवं मतगणना प्रक्रिया के दौरान महाविद्यालय परिसर में मोबाईल एवं अन्य ईलेक्ट्रोनिक उपकरण नही लायेंगे।

चुनाव अधिकारी